

सं.11.1(1)/2018-बै.एवं अनु.
संघ लोक सेवा आयोग
(बैठक एवं अनुरक्षण अनुभाग)
धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड
नई दिल्ली-110069

दिनांक: 21 मार्च, 2018

सेवा में

विषय : सं.लो.से.आ. में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए निविदा आमंत्रण सूचना।

प्रिय महोदय,

सं.लो.से.आ. परिसर में आयोग भवन के तलों/टैरेस आदि सहित परिसर से बंदरों को भगाने के लिए बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती है। परिचालन के क्षेत्र को इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को **26.03.2018 से 28.03.2018** तक 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच टेलीफोन सं. 011-23388418 पर पुष्टि करने के बाद देखा जा सकता है।

2. बोली एक सील बंद लिफाफे में जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में **सं.लो.से.आ. में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर)** की तैनाती के लिए बोली लिखा हो, जो श्री अनिल कुमार, अवर सचिव (सा.) के नाम से संबोधित हो, **17 अप्रैल, 2018** को 3.00 बजे अपराहन तक पहुंच जानी चाहिए अथवा इस कार्यालय के गेट "सी" के स्वागत कक्ष पर रखे निविदा बाक्स में डाल दें या पंजीकृत डाक से इस प्रकार भेजें कि यह निर्धारित तारीख तथा जमा करने के समय से पहले अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाए। उपर्युक्त तारीख को इस कार्यालय में अवकाश/बंद घोषित किए जाने की स्थिति में निविदाएं इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय पर प्राप्त तथा खोली जाएंगी ।

3. नि.आ.सू. के साथ 10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) की जमा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चेक/ एफ डी आर के रूप में हो, जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय हो, प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

4. सफल बोलीदाता को 'निष्पादन प्रतिभूति' के रूप में कुल संविदा लागत का 7% डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/एफ.डी.आर. जो सचिव, सं.लो.से.आ. के पक्ष में देय हो, जमा करानी होगी। 'निष्पादन प्रतिभूति' सभी संविदात्मक बाध्यताओं के पूरे होने की तारीख से परे 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। तथापि, सफल बोलीदाता से निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त होने पर जमा धरोहर राशि लौटा दी जाएगी।

5. निविदा आमंत्रण सूचना **17 अप्रैल, 2018** को 3.30 बजे अपराहन अधोहस्ताक्षरी के कमरे में बोलीदाताओं या उसके प्रतिनिधियों जो इसमें शामिल होना चाहते हैं की उपस्थिति में खोली जाएगी।

6. कार्य क्षेत्र :

(i) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता को बंदरों नियंत्रक को बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की आवाज निकालने की कला जानने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को मासिक आधार पर (सप्ताह में 7 दिन) उपलब्ध कराना होगा।

(ii) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की सेवाएं प्रदान करने का समय सप्ताह में सात दिनों के लिए सुबह 9.30 बजे (0930 घण्टे) से शाम 6.30 बजे (1830 घण्टे) तक होगा । संघ लोक सेवा आयोग परिसर में तैनात मंकी हैंडलर एम एम (बै.एवं.अनु.) अनुभाग में (सोमवार से शुक्रवार तक) और शनिवार एवं रविवार/सरकारी अवकाश के दिन गेट नं. 2 पर अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा ।

(iii) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता के संतोषजनक सेवाएं प्रदान करने में असफल रहने और बंदरों के आतंक को रोकने में असमर्थ होने के मामले में बिना किसी लिखित नोटिस के उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

(iv) बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) की तैनाती का पर्यवेक्षण वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / संपदा प्रबंधक / संपदा पर्यवेक्षक / केयरटेकर / सुरक्षा अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा ।

(v) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता या उसका कर्मचारी पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 में निहित अनुदेशों के दृष्टिगत संघ लोक सेवा आयोग के परिसर से बन्दरों को भगाने/दूर रखने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(vi) बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता आयोग में तैनात अपने कार्मिकों को बार-बार नहीं बदलेगा। बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में तैनात कार्मिक का मोबाइल नं. आयोग के सभी अनुभागों में परिचालित किया जाएगा ताकि वे आसानी से फोन पर सीधे बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) से संपर्क कर सकें, यदि उनकी सेवाओं की किसी भी समय आवश्यकता हो। ड्यूटी पर तैनात बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) कार्मिक तत्काल कॉल का प्रत्युत्तर देगा और बिना किसी विलंब के संबंधित अधिकारी की सहायता करेगा।

(vii) बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता संविदा अवधि के दौरान बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) की किसी शारीरिक चोट के मामले में चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करेगा। आयोग द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त व्यय को वहन नहीं किया जाएगा।

(viii) कार्य के समय बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) को किसी प्रकार की चोट के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(ix) बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) संविदाकर्ता का अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा।

पात्रता मानदण्ड

7. आवेदन करने वाली एजेंसी / संविदाकर्ता के पास वैध आयकर पैन नं. होना चाहिए।

8. आवेदन करने वाली एजेंसी / संविदाकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए।

9. एजेंसी / संविदाकर्ता के पास न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का सरकारी मंत्रालयों / विभागों अथवा बड़े निजी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी सेवाएं प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए।

जोखिम क्रय खंड

10. यदि फर्म संविदाकर्ता बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आदेश देने के बाद इन निविदा दस्तावेजों के निबन्धन और शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है और/ अथवा नियत कार्यक्रम/सुपुर्दगी के अनुसार सेवाएं/आपूर्ति करने में असफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है तब सं.लो.से.आ. के पास जमा धरोहर राशि को जब्त करने, बोलीदाता द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर अन्य एजेंसियों से सामग्री का प्रापण करने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और बोलीदाता की बोली मूल्य के बीच की लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रारंभिक प्रभारों और सीमा शुल्क कर, मालभाड़ा और बीमा आदि के साथ बोलीदाता से की जाएगी। यदि सं.लो.से.आ. वैकल्पिक स्रोतों के जरिए सेवाएं/सामग्री का प्रापण करने के लिए बाध्य हो जाता है और यदि लागत कम हो तब उसका लाभ बोलीदाता को नहीं दिया जाएगा।

सामान्य शर्तें

11. संघ लोक सेवा आयोग परिसर में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / संपदा प्रबंधक / संपदा पर्यवेक्षक / केयरटेकर / सुरक्षा अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग के अनुदेश पर की जाएगी। कार्य दिवसों के दौरान सं.लो.से.आ. परिसर में तैनात बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) एम एम अनुभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।

12. परीक्षा दिवसों, शनिवार, रविवार के दौरान सं.लो.से.आ. में बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती निगरानी सुरक्षा अधिकारी, सं.लो.से.आ. द्वारा की जाएगी। सुरक्षा अधिकारी की अनुपस्थिति में तैनात रात्रि ड्यूटी अधिकारी गेट नं. 2 पर बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की उपस्थिति का सत्यापन करेंगे।

13. आयकर अधिनियम की धारा 194(सी) के शर्तों में संविदाकार/एजेंसी से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।

14. संविदा एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी और इसके आरंभ की तारीख सफल बोलीदाता / बोलीदाताओं को संविदा देने का पत्र जारी करने के सातवें दिन से होगी।

15. यदि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो संविदा को उसी दर, निबन्धन और शर्तों पर आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं बशर्ते फर्म / संविदाकर्ता का कार्य निष्पादन आयोग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है।

बोलियों का मूल्यांकन

16. एजेंसी / संविदाकर्ता नि.आ.सू. में उल्लिखित सभी कार्यों को अनुलग्नक-1 में उद्धृत करेगा, एल-1 फर्म का निर्णय नि.आ.सू. में उद्धृत समग्र दरों के आधार पर किया जाएगा।

17. एजेंसी / संविदाकर्ता द्वारा उद्धृत दरें अन्य सरकारी संगठनों से इसी तरह की सेवाओं के लिए बोलीदाता द्वारा की गई दरों से अधिक नहीं होंगी। इस आशय का एक प्रमाणपत्र भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों में शामिल किया जाएगा।

भुगतान

18. भुगतान बिल की प्रस्तुति पर मासिक आधार पर किया जाएगा। किसी दिन अनुपस्थित होने की स्थिति में मासिक बिल से दी गई दर के आधार पर कटौती की जाएगी। बंदर नियंत्रण (मंकी हैंडलर) जोखिम से निपटने के लिए मासिक प्रभार वरिष्ठ संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी / संपदा पर्यवेक्षक / केयरटेकर / सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी मासिक कार्य निष्पादन प्रमाणपत्र और प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति के आधार पर जारी किया जाएगा।

19. यदि यह पाया जाता है कि सेवाएं कार्यक्षेत्र के अनुसार और नि.आ.सू. में दिए गए निबन्धनों और शर्तों, निर्धारित अनुसूची के अनुसार नहीं दी जाती है या किसी भी समय पाया जाता है कि फर्म सं.लो.से.आ. के कथनानुसार अनुपालन नहीं कर रही है तो सं.लो.से.आ. को नहीं दी गई सेवाओं के लिए एजेंसी / संविदाकर्ता के बिल से भुगतान की कटौती करने का अधिकार होगा ।

20. निष्पादित कार्य आयोग से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद आयोग के लिए संतोषजनक होना चाहिए । ऐसा न होने पर उक्त संगत माह के कुल बिल से 10% की दर से कटौती की जाएगी। लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए आयोग के पास एजेंसी को काली सूची में डालने और इसकी निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

21. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास किसी निविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है । इस संबंध में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम और फर्म पर बाध्यकारी होगा ।

22. उक्त कार्य सं.लो.से.आ. की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों / आपरेटरों द्वारा ही किया जाएगा । एजेंसी / संविदाकर्ता आयोग के अग्रिम रूप से प्राधिकृत कर्मचारियों की सूची उनके परिचय-पत्र के साथ मुहैया कराएगा ।

23. निविदा का अनुमानित मूल्य 2.00 लाख रुपये है।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव, (बै.एवं अनु.)

बंदर नियंत्रक (मंकी हैंडलर) की तैनाती के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

(वित्तीय बोली)

कार्य का विवरण	मासिक समेकित दरें
सं.लो.से.आ. परिसर से बंदरों के आंतक को नियंत्रित करना	

संविदाकर्ता / एजेंसी का नाम :.....

संविदाकर्ता / एजेंसी के हस्ताक्षर :.....